

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र०/निर्माण/बैंक-ए.टी.एम./विज्ञप्ति/19-20/1069

भोपाल, दिनांक: 20.06.19

प्रति,


1. संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)
(म०प्र०)
2. कार्यपालन यंत्री,
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग.....(समस्त)
3. सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति.....(समस्त)
जिला..... ।

विषय:—मंडी/उपमंडी प्रांगणों में बैंक/ए.टी.एम. सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ।

—:—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मण्डी/उपमण्डी प्रांगणों में बैंक/ए.टी.एम. सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में निविदा विज्ञप्ति क्र० 1053 दिनांक 18.06.19 जारी की गयी है। उक्त विज्ञप्ति से संबंधित प्रपत्र संबंधितों द्वारा मांगे जाने पर उनको उपलब्ध कराने एवं सहज दृष्टिगोचर स्थल पर चस्था हेतु जारी की गयी निविदा का प्रति क्र० 1053 दिनांक 18.06.19, निविदा प्रपत्र एवं समय विवरणिका संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार (5)


अधीक्षण यंत्री
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क0/बोर्ड/निर्माण/बैंक-एटीएम/
1053

भोपाल, दिनांक 18.06.19

निविदा विज्ञप्ति

प्रदेश के मंडी/उपमंडी प्रांगणों में राष्ट्रीयकृत/गैर राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों के द्वारा ए.टी.एम./बैंक शाखा/एक्सटेंशन काउन्टर खोले जाने के संबंध में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाईट <http://mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

स0 क0	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर राशि	समय-सीमा
1	2	3	4	5
1	257 मंडी एवं 299 उपमंडी प्रांगणों में बैंक शाखा, एक्सटेंशन काउन्टर एवं ए.टी.एम. स्थापित करना	रु0 100/-	रु0 10,000/-	3 माह के भीतर
2	संभारणीय कार्यालयों में केवल ए.टी.एम			

शर्त:-

1. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना निवेदा प्रपत्र व मंडी/उपमंडी प्रांगणों की सूची व अन्य जानकारी मण्डी बोर्ड की वेबसाईट www.mpmmandiboard.co.in पर, मण्डी बोर्ड मुख्यालय, संयुक्त संचालक/उपसंचालक, आंचलिक कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तक0संभाग एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के कार्यालय में कार्यालयीन समय में भी देखी जा सकती है।


अधीक्षण सचिव

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क०/बोर्ड/निर्माण/

1053-A

भोपाल, दिनांक 18.06.19

निविदा विज्ञप्ति

प्रदेश के मंडी/उपमण्डी प्रांगणों में राष्ट्रीयकृत/गैर राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों के द्वारा ए.टी.एम./बैंक शाखा/एक्सटेंशन काउन्टर खोले जाने के संबंध में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाईट <http://mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

स० क०	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर राशि	समय-सीमा
1	2	3	4	5
1	257 मंडी एवं 299 उपमंडी प्रांगणों में बैंक शाखा एक्सटेंशन काउन्टर एवं ए.टी.एम. स्थापित करना	रु० 100/—	रु० 10,000/—	3 माह के भीतर
2	संभागीय कार्यालयों में केवल ए.टी.एम.			

शर्त:-

- विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना निविदा प्रपत्र व मंडी/उपमंडी प्रांगणों की सूची व अन्य जानकारी मण्डी बोर्ड की वेबसाईट www.mpmmandiboard.org पर भी देखी जा सकती है।
- बैंकों की शाखा/एक्सटेंशन काउन्टर हेतु भूदान/कक्ष/रिक्त भूमि आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जा सकता है।
- भवन/कक्ष का किराया कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा।
- ए.टी.एम. स्थापित करने के लिए भूमि मंडी/उपमंडी प्रांगण में स्थल चयन भूमि की उपलब्धता अनुसार मंडी के अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों के मध्य चर्चा कर निर्धारित किया जा सकेगा।
- मंडी/उपमंडी प्रांगण में आवश्यकतानुसार एक से अधिक बैंकों की शाखा/ए.टी.एम. स्थापित किये जा सकेंगे।
- जिन राष्ट्रीयकृत/गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडी व्यापारियों के अधिक खाते होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।
- ए.टी.एम. हेतु भूमि किराया मंडी प्रावधानों के तहत भूमि/संरचना आवंटन नियम 2009 के अन्तर्गत निम्नानुसार देय होगा :-
(I) अ वर्ग की मंडी रु० 40/- प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष
(II) ब वर्ग की मंडी रु० 30/- प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष
(III) स वर्ग की मंडी रु० 25/- प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष
(VI) द वर्ग की मंडी रु० 20/- प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष
- बैंक शाखा / एक्सटेंशन काउन्टर व ए.टी.एम. खोलने के संबंध में दिनांक 02.07.19 मंडी बोर्ड कार्यालय भोपाल में अपराह्न 3.30 बजे प्री-बिड मीटिंग आयोजित है, जिसमें इच्छुक बैंक के अधिकारी उपस्थित रह सकते हैं।
- बैंकों के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त अनुबंध आदि की कार्यवाही संबंधित मण्डी समिति द्वारा की जावेगी।
- अन्य शर्तों के संबंध में जानकारी म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय, किसान भवन भोपाल, समस्त ऑट्टलिक संयुक्त संचालक/उपसंचालक, कार्यपालन यंत्री तकनीकी समायो एवं मण्डी समिति (संबंधित) से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकेगी।

अधीक्षक यंत्री

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

निविदा प्रपत्र (Format of offer)

1	बैंक का नाम	
2.	मध्य प्रदेश में बैंकों की शाखाएं (संख्या)	
3.	बैंक इच्छुक है :-	
	(अ) बैंक की शाखा	
	(ब) एक्सटेंशन काउन्टर	
	(स) ए.टी.एम.	
4.	स्वयं का भवन/भूमि अथवा मंडी के विभिन्न भवन	
	बैंक शाखा एवं एक्सटेंशन काउन्टर हेतु वांछित निर्मित भवन की साईज	
5.	मंडी के व्यापारियों के खातों की संख्या	
6.	ए.टी.एम स्थापित करने हेतु वांछित भूखण्ड (मीटर में)	
7.	मंडी/उपमण्डी प्रांगणों की सूची संलग्न है	
8	क्या बैंक की शाखा के साथ ए.टी.एम. भी स्थापित करेंगे	

शर्तें :-

1. बैंकों/मंडी के अधिकारियों की सहमति से ए.टी.एम. हेतु भूमि का चयन किया जा सकेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड का होगा।
2. वर्तमान में निर्मित भवन में बैंक की शाखा/एक्सटेंशन काउन्टर स्थापित किये जाने की स्थिति में भवन में किसी भी प्रकार की अल्ट्रेशन/एडीशन की स्थिति में होने वाला व्यय संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा।
3. बैंक की लिखित सहमति/अनुबंध उपरान्त मण्डी सचिव उपरोक्तानुसार कार्य करायेगी।
4. अनुबंध प्रथमतः 15 वर्षों के लिए होगा, जिसे आपसी सहमति से आगामी 15 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
5. भवन/रक्ष का किराया मासिक आधार पर देय होगा अर्थात् प्रत्येक माह की 5 तारीख के पूर्व।

आवेदक बैंक का नाम

निविदा प्रपत्र (Format of offer)

1	बैंक का नाम	
2.	मध्य प्रदेश में बैंकों की शाखाएं (संख्या)	
3.	बैंक इच्छुक है :-	
	(अ) बैंक की शाखा	
	(ब) एक्सटेंशन काउन्टर	
	(स) ए.टी.एम.	
4.	स्वयं का भवन/भूमि अथवा मंडी के विभिन्न भवन	
	बैंक शाखा एवं एक्सटेंशन काउन्टर हेतु वांछित निर्मित कक्ष की सईज	
5.	मंडी के व्यापारियों के खातों की संख्या	
6.	ए.टी.एम स्थापित करने हेतु वांछित भूखण्ड (मीटर में)	
7.	मंडी/उपमण्डी प्रांगणों की सूची संलग्न है	
8	क्या बैंक की शाखा के साथ ए.टी.एम. भी स्थापित करेंगे	

शर्तें :-


1. बैंकों/मंडी के अधिकारियों की सहमति से ए.टी.एम. हेतु भूमि का चयन किया जा सकेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड का होगा।
2. वर्तमान में निर्मित भवन में बैंक की शाखा/एक्सटेंशन काउन्टर स्थापित किये जाने की स्थिति में भवन में किसी भी प्रकार की अल्टेरेशन/एडीशन की स्थिति में होने वाला व्यय संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा।
3. बैंक की लिखित सहमति/अनुबंध उपरांत मण्डी सचिव उपरोक्तानुसार कार्य करेगी।
4. अनुबंध प्रथमतः 15 वर्षों के लिए होगा, जिसे आपसी सहमति से आगामी 15 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
5. भवन/कक्ष का किराया मासिक आधार पर देय होगा अर्थात् प्रत्येक माह की 5 तारीख के पूर्व।

आवेदक -
 हस्ताक्षर -
 बैंक अनाम -

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

मण्डी/उपमण्डी प्रांगणों में बैंक/ए.टी.एम. सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त की जाने वाली निविदाओं हेतु समय विवरणिका :-

क्र०	विवरण	दिनांक	समय	स्थल
1	प्री बिड मीटिंग	02.07.2019	3.30 पी.एम.	मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल
2	निविदा कय तिथि	06.07.2019	5.30 पी.एम. तक	
3	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (स्पीड पोस्ट/कुरियर)	09.07.2019	5.30 पी.एम. तक	म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड 26,किसान भवन, अरेरा हिल्स भोपाल
4	निविदा खोलने की तिथि	10.07.2019	3.30 पी.एम. से	मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल


अधीक्षण संजी